गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक - 539/मास्टर प्लान/जोन-5/2026 दिनांक - 02/11/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s SMV Agencies Private Limited द्वारा ग्राम शाहपुर बम्हेटा, NH-24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित भूखंड संख्या GH-02 क्षेत्रफल 78947.680 वर्ग मीटर पर आवासीय ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित की जा रही है जिसका पूर्व में प्राधिकरण से मानचित्र संख्या 65/जोन–5/2014–15 दिनांक 01–07–2014 स्वीकृत है। उक्त ग्रुप हाउसिंग परियोजना (भूखंड संख्या GH-02) के अंतर्गत पूर्व निर्मित टावर A-1, टावर A-2, टावर D-1, टावर D-2, टावर D-3, टावर D-4, टावर K-1, टावर K-2, कम्यूनिटी–1, कम्यूनिटी–2, टावर R-1, कॉमर्शियल शॉप एवं टावर S-1 का पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त ग्रुप हाउसिंग परियोजना का कुल क्षेत्रफल 79439.861 वर्गमीटर पर संशोधित भवन मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा फाइल संख्याः GDA/BP/24-25/0046 तथा स्वीकृति पत्र संख्याः Group Housing/09911/GDA/BP/24-25/0046/ 09122025 के अंतर्गत दिनांक 14.01.2026 को स्वीकृत/रिवाइज़ कराया गया था, जिसमें टावर D-5, टावर A-3, टावर A-4, टावर S-2, टावर A-5 & A-6, टावर A-7 & A-8, टावर T-1 & T-2, टावर T-3, टावर I-1, LIG/EWS ब्लॉक्स एवं कम्युनिटी–3 को संशोधित किया गया तथा तत्समय समाचार पत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये थे। उक्त परियोजना के स्वीकृत संशोधित मानचित्र दिनांक 14–01–2026 अंतर्गत टावर A-3 व कम्युनिटी–3, टावर A-4, टावर A-5 & A-6 व कम्युनिटी–5, टावर A-7 & A-8 व कम्युनिटी–6, टावर T-1 & T-2, टावर T-3, टावर I-1 तथा कम्युनिटी–4 में वर्तमान तक रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया गया है और न ही कोई निर्माण एवं बुकिंग आदि की गयी है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित टावरों में ही आंशिक संशोधन करते हुए मानचित्र संख्या GDA/BP/MS/2026-27/6907 दिनांक 16–07–2026 को स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित संशोधित तलपट मानचित्र में किये गये संशोधनों के स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई भौतिक निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यदि परियोजना से सम्बन्धित किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के **स्वागत कक्ष** एवं **मुख्य नगर नियोजक** कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण